न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर जिला–बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी :– श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या –228 / 2024

प्रार्थी
सरपंच ग्राम पंचायत अरसद अली पुत्र लियाकत अली जाति मुसलमान निवासी देरासर ग्रा.पं. देरासर तहसील रामसर ।

बनाम

विप्रार्थी
तहसीलदार रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 वास्ते लट्ठा ट्रेस में तरमीम दुरस्ती करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण स्वंय
2. राज पैरोकार।

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 13.03.2026

संक्षेप में आवेदन पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि सरपंच ग्राम पंचायत देरासर एंव समस्त ग्राम वासी देरासर तहसील रामसर जिला बाडमेर द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 27.12.2024 को पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम मौजा रामदियो की बस्ती पटवार मण्डल देरासर के खसरा संख्या 296 / 200 रकबा 5.3742 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रड़ी में से रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि आबादी विस्तार हेतु आरक्षित की गई थी जिसके साथ प्रस्तावित नक्शा संलग्न है जिसका नामान्तरण ग्राम रामदियों की बस्ती के नामान्तरण संख्या 231 दिनांक 12.10.2023 स्वीकृत होकर रेकर्ड में अमलदरामद हुआ है। उक्त अंकित की गई तरमीम को सेग्रीगेशन में पृथक तरमीम अंकित कर दी जिसकी जांच रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्रांक कोर्ट / 2025 / 209 दिनांक 07.03.2025 द्वारा तहसीलदार रामसर से मंगवाई गई जो तहसीलदार रामसर के पत्रांक राजस्व / कोर्ट / 2025 / 2976 दिनांक 17.12.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुई जो शामिल मिशल की गई। तहसीलदार रामसर की रिपोर्ट अनुसार मौजा रामदियों की बस्ती पटवार मण्डल देरासर के खसरा नंबर 457 / 296 रकबा 0.4856 हैटेयर किस्म गैर मुमकिन आबादी की मौका व रेकर्ड की जांच अनुसार आबादी हेतु प्रस्तावित भूमि की तरमीम व वर्तमान में सेग्रीगेशन के समय की गई ऑनलाईन तरमीम में आंशिक भिन्नता पायी गई है। मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की गई है। तहसीलदार रामसर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वर्तमान अंकित तरमीम को निरस्त किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी रामसर के पत्रांक प्र.गा.के संग.अभि. / राजस्व / 2023 / 3100 दिनांक 30.06.2023 के साथ संलग्न नक्शे अनुसार तरमीम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट एवं संलग्न नक्शा परिशिष्ट "ब " व इस कार्यालय का आदेश क्रमांक संग.अभि. / राजस्व / 2023 / 3100 दिनांक 30.06.2023 के साथ संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 13.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी रामसर जिला बाड़मेर

(राम लाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
उपखण्ड अधिकारी, रामसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.03.13 17:00:15 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक : कोर्ट / 2026 / 131 – 32 दिनांक 13/03/2026

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार रामसर को भेजकर लेख है कि न्यायालय के निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड / नक्शा में अमलदरामद कर पालना प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. सरपंच ग्राम पंचायत देरासर को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, रामसर
उपखण्ड अधिकारी, रामसर

Scanned with OKEN Scanner